लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 21 / 2021 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः—10.03.2021
GCMS No.:-2021/101

श्री लोकेश कुमार बापना निवासी 246, विण्डसर अपार्टमेन्ट, श्री गोपाल नगर, जयपुर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम—2005

निर्णय

दिनांक 30.03.2021

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु आवेदन दिनांक 11.01.2021 एवं 13.01.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत दोनों आवेदनों पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 21 / 2021 / (30.03) / 257 दिनांक 10.03.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 30.03.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 30.03.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक / को.चि. / स्थापना / आ.टी.आई. / 2020—21 / 458 दिनांक 30.03.2021 से कमेन्ट्स प्रेषित किए जो इस प्रकार हैः—

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी श्री लोकेश कुमार बापना पुत्र स्व. श्री मान सिंह बापना को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक को.चि./स्थापना/आ.टी.आई./2020–21/403 दिनांक 18.02.2021 के द्वारा प्रेषित कर दी गई है। चूंकि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(j) के तहत तृतीय पक्षकार से संबंधित सूचना दिये जाने के संबंध में सहमति/असहमति होना आवश्यक है। तृतीय पक्षकार श्री यशपाल बापना सहायक लेखाधिकारी–II कार्यालय हाजा को इस कार्यालय के पत्रांक 382 दिनांक 02.02.2021 द्वारा सहमति/असहमति हेतु लिखा जाने पर श्री यशपाल बापना सहायक लेखाधिकारी–II ने पत्र दिनांक 02.02.2021 के माध्यम से, प्रार्थी द्वारा उक्तानुसार वांछित सूचना दिये जाने बाबत् असहमति व्यक्त की है। अतः अपीलार्थी श्री लोकेश कुमार बापना, पुत्र स्व. श्री मान सिंह बापना को अधिनियम की धारा 8(j) के तहत चाही गई उक्त सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराई गई।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/को.चि./स्थापना/आ.टी.आई./2020–21/458 दिनांक 30.03.2021 से प्रेषित कमेंट्स का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 11.01.2021 से निम्नांकित 4 बिन्दुओं पर सूचनाऐं चाही गई:– (1) सहायक लेखाधिकारी स्व. श्री मान सिंह बापना के सहायक लेखाधिकारी के पद पर सेवारत रहते दिनांक 23.01.1995 को मृत्यु उपरान्त भुगतान किये गये समस्त प्रकार के दावे यथा राज्य बीमा की राशि, सामान्य प्रावधायी निधि (जीपीएफ) की राशि, टर्मिनल लीव (उपार्जित अवकाश के बदले नकद राशि) एवं ग्रेज्युटी की राशि की सूचना। (2) मृतक के आश्रित के रूप में श्री यशपाल बापना को दी गई नियुक्ति के समर्थन में समस्त दस्तावेज, घोषणाओं एवं शपथ पत्र की सूचना। (3) श्री यशपाल बापना, सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय द्वारा आयकर की गणना के लिए दिये गये स्व आयकर घोषणा पत्रों एवं फार्म 16 की वित्तीय वर्ष 1995–96 से 2020–21 तक की सूचना। (4) एफपीपीओ संख्या 103087 ® SF पर पारिवारिक पेंशन के रूप में किया गया सकल भुगतान का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विवरण 24.01.1995 से लेकर 17 फरवरी 2003 मृत्यु तक की सूचना तथा आवेदन दिनांक 13.01.2021 से निम्न 1 बिन्दु पर सूचना चाही गई कि :– श्री यशपाल बापना, सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय के दिनांक 15.01.2003 से 28.02.2003 तक राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त चिकित्सा एवं उपार्जित अवकाश पर रहने की सूचना की तथ्यात्मक स्थिति।

अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचनाओं में आवेदन दिनांक 11.01.2021 में बिन्दु संख्या 2 एवं 3 में तथा आवेदन दिनांक 13.01.2021 में श्री यशपाल बापना, सहायक लेखाधिकारी–II से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाऐं चाही गई है तथा श्री यशपाल बापना, सहायक लेखाधिकारी–II ने उक्त सूचनाऐं दिए जाने के संबंध में जरिए पत्र दिनांक 02.02.2021 के माध्यम से अपनी असहमति प्रकट की है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (ञ) के अनुसार "ऐसी सूचना, जिसका संबंध वैयक्तिक सूचना से है, जिसके प्रकटन का किसी लोक कियाकलाप या हित से कोई संबंध नहीं है या जिससे किसी व्यक्ति की एकांतता में अनपेक्षित हस्तक्षेप होता है जब तक कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि जनता के बडे हित में ऐसी सूचना का प्रकटन न्यायोचित है।"

चूंकि श्री यशपाल बापना, सहायक लेखाधिकारी–II ने अपनी व्यक्तिगत सूचना देने के संबंध में अपनी असहमति प्रकट की है तथा हमारे मत में भी उक्त सूचना के प्रकटन में कोई लोक हित निहित नहीं है।

किन्तु अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 11.01.2021 के बिन्दु संख्या 1 व 4 में उसके पिता स्व. श्री मान सिंह बापना के सहायक लेखाधिकारी के पद पर रहते हुए दिनांक 23.01.1995 को मृत्यु हो जाने तथा उनकी मृत्यु उपरान्त दिये गये समस्त प्रकार के भुगतान एवं एफपीपीओ संख्या 103087 ® SF पर पारिवारिक पेंशन के रूप में दिनांक 24.01.1995 से 17.02.2003 तक किए गए सकल भुगतान संबंधित सूचनाऐं चाही गई है

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 21 / 2021 (सू.अ.)
श्री लोकेश कुमार बापना निवासी जयपुर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़

जो कि श्री यशपाल बापना, सहायक लेखाधिकारी–II की व्यक्तिगत सूचना से संबंधित नहीं है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 11.01.2021 में श्री यशपाल बापना, सहायक लेखाधिकारी–II की व्यक्तिगत सूचनाओं को छोड़कर बिन्दु संख्या 1 व 4 में वांछित सूचनाऐं उसे निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

(के. के. शर्मा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रमांक / सरिश्ता / प्र.सं. / 21 / 2021(सू.अ.) / 301 दिनांकः– 30 / 03 / 2021

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़
2. श्री लोकेश कुमार बापना निवासी 246, विण्डसर अपार्टमेन्ट, श्री गोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर–302019

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)